



लोकगाथा की विशेषताएँ

डॉ राम मेहर सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर), हिन्दी विभागए छोदूराम किसान स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, जीन्द ।

लोकगाथा की विशेषताएँ के सम्बन्ध में प्रायः सभी भारतीय तथा विदेशी विद्वान एकमत हैं। क्योंकि विश्वभर की सभी लोकगाथाओं की विशेषताएँ समान हैं। यही विशेषताएँ लोकगाथाओं को अलंकृत-काव्य से पृथक् करती हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम निस्संकोच कह सकते हैं कि अमुक गीत लोकगाथा है अलंकृत काव्य नहीं। राबर्ट ग्रेव्स ने लोकगाथाओं की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं। ;40द्व डा0 कृष्णदेव उपाध्याय ने भी इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है: ;41द्व

1. अज्ञात रचनाकार
2. प्रामाणिक मूलपाठ की कमी
3. संगीत तथा नृत्य का साहचर्य एवं सहयोग
4. स्थानीयता की गंध
5. मौखिक परम्परा
6. अलंकृत शैली का अभाव
7. उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव
8. रचनात्मकार के व्यक्तित्व का अभाव
9. दीर्घ-कथानक की विद्यमानता
10. टेक पदों की पुनरावृत्ति
11. इतिहास की संदिग्धता

1. अज्ञात रचनाकार :-

लोकगाथाओं का रचनाकार कौन है? व्यक्ति या समूह? इस सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। उस चर्चा से निष्कर्ष यह निकला था कि लोकगाथाओं का रचनाकार अज्ञात होता है। आज तक लोकगाथाओं के रचनाकार के विषय में किसी प्रकार का उल्लेख हमें नहीं मिलता। उत्तरी भारत में अनेक प्रसिद्धलोकगाथाएँ हैं, यथा आल्हा, ढोला-मारु, हीर-राँभफा, विजयमल, सोरठी, लोरिकी, बिहुला, गोपीचन्द, भरथरी, नयकवा बनजारा आदि। परन्तु इनके रचनाकार के विषय में अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वास्तुतः रचनाकार का अज्ञान होना एक स्वाभाविक तथ्य है। यह भी पता लगाना कठिन हो जाता है कि अमुक लोकगाथा की रचना किस काल में हुई। राबर्ट ग्रेव्स के मतानुसार “आज के युग में किसी भी रचनाकार के अज्ञात होने का तात्पर्य स्पष्ट है कि वह रचनाकार अपनी रचना को हेय समझता है। यही कारण है कि वह उसे समाज में प्रकट करने में सकुचाता है। परन्तु आदिम समाज में लोकगाथाओं के रचयिता अपनी लापरवाही के कारण अन्धकार के गर्त में दबे रह गए।” ;42द्व

लोकगाथाएँ मूलतः समाज के क्रमिक विकास की द्योतक हैं तत्कालीन सामाजिक वातावरण इन लोकगाथाओं में खुलकर अभिव्यक्त हुआ है। अतः इनसे समाज की अवस्था का तो अनुमान कर लिया जाता है परन्तु किसी व्यक्ति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी लिखा है कि लोकगीतों के रचनाकार अज्ञात स्त्री तथा पुरुष। ;43द्व

वैसे लोकगाथाओं का अन्य कविताओं की भाँति रचनाकार तो अवश्य होगा जिसने अपने कबीले के लोगों के साथ मस्त होकर गीत गाया होगा। परन्तु उसने लेखक होने का दावा नहीं किया। गाथा को ही विशेष महत्त्व दिया। एक व्यक्ति के गीत में आगे चलकर न जाने कितनी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं यह किसी को ध्यान नहीं रहता। नृशास्त्री तथा पुरतत्त्ववेत्ता भी इस सम्बन्ध में मौन हैं। अतः किसने इनका निर्माण किया, यह निश्चित रूप से हीं बतलाया जा सकता। वास्तव में “लोकगाथाओं के अज्ञात प्रेरणाओं ने एक गंगा बहा दी जिसमें समाज की आकांक्षाएँ गुण-अवगुण, अपधराओं के समान अन्मर्निहित होते गए और क्रमशः लोकगाथा की व्यापकता में समाज की आत्मा मुखरित होती गई।” ;44द्व

अतः यह स्पष्ट है कि लोकगाथा का रचनाकार अज्ञात होता है।

2. प्रामाणिक मूलपाठ की कमी :-

जिस प्रकार से लोकगाथाओं के मूल रचनाकार का पता लगाना कठिन है उसी प्रकार लोकगाथाओं के मूलपाठ का पता लगाना भी अत्यन्त कठिन है। क्योंकि गाथा किसी समुदाय की सम्मिलित रचना होती है उसका कोई एक रचनाकार नहीं होता। इसीलिए उसका कोई मूल प्रामाणिक पाठ भी नहीं होता। रचनाकार का ही जब पता नहीं तब उसके मूल पाठ की प्रामाणिकता का पता लगाना तो अत्यन्त ही कठिन है।

ISSN : 2348-5612 © URR



9 770234 856124



लोकगाथा समाज की रचना है वह समाज की सम्पत्ति है समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसे अपना समझता है। अपनी इच्छानुसार वह उसमें अपनी नई कड़ियाँ जोड़ देता है। इतना ही नहीं विभिन्न प्रांत में प्रचलित होने के कारण उनमें अनेक भाषाओं के शब्दों का निःसंकोच प्रवेश हो जाता है। इस प्रकार उसकी आकार-वृद्धि के साथ-साथ उसकी भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः लोकगाथाओं में लोककवि द्वारा समय-समय पर परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया जाता रहा है। यह भी संभव है जैसे-जैसे यह नए-नए लोककवियों के पास जाता है वैसे-वैसे इसमें पुराने पद निकलते चले जाते हैं और नए-नए जुड़ जाते हैं। विभिन्न लोककण्ठों से निःसृत होने के कारण लय और संगीत में भी अन्तर आ जाता है। टेक पद बदल जाते हैं। गाने की धुन भी बदल जाती है। यहाँ तक कि पात्रा तथा पात्रा के चरित्र भी बदल जाते हैं। जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता है वैसे-वैसे लोकगाथाओं की भाषा में परिवर्तन होता जाता है। यह परिवर्तन इतना अधिका हो जाता है कि उस मूल गाथा का मूल रचनाकार भी उसे सुनले तो वह स्वयं को नहीं पहचान सकेगा। ;45

यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि आज के युग में प्रामाणिक मूलपाठ की कमी को भंयकर दोष माना जाता है जब कि यह लोकगाथाओं का आवश्यक गुण बन गया है। लोकगाथा की यह मौखिक परम्परा एक नदी के समान सदियों से बहती चली आ रही है। न जाने कितने नदी नालों ने आकर उसके आकार को इतना विस्तृत कर दिया है कि इसके मूल स्वरूप को पहचानना कठिन हो गया है। अतः किसी भी लोकगाथा का निश्चित और अन्तिम स्वरूप नहीं प्राप्त होता। इसके अनेक पाठ होते हैं। परन्तु किसी पाठ का मूल्य दूसरे पाठ से किसी भी प्रकार कम नहीं। प्रो० चाइल्ड ने कई लोकगाथाओं का सम्पादन किया है। कई लोकगाथाओं के एक से लेकर इकीस पाठ तक मिले हैं। परन्तु किसी एक का महत्त्व दूसरे से किसी प्रकार भी कम नहीं। इसी प्रकार पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी "भगवतीदेवी" शीर्षक लोकगाथा के तीन-चार पाठ संकलित किए हैं उनमें कौन सा पाठ मूल और शुद्ध है यह कहना अत्यन्त ही कठिन है।

राबर्ट ग्रेव्स ने स्पष्ट लिख है कि लोकगाथा का मूल तथा शुद्ध पाठ नहीं होता। गायक अपनी इच्छानुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। अतः किसी एक पाठ को शुद्ध नहीं माना जा सकता। ;46

आल्हा के विषय में कहा जाता है कि उसका मूल लेखक जगनिक था। जगनिक ने बुन्देलखंडी बोली में इसकी रचना की। इस रचना में आल्हा और ऊदल के पराक्रम एवं शौर्य का वर्णन था। आकार भी इसका पहले बहुत छोटा रहा होगा। इसकी अब कोई हस्तलिखित मूल प्रति तो नहीं मिलती। परन्तु आज जिस रूप में यह रचना हमें मिलती है, उसका आकार पहले से कई गुना अधिक है। न जाने कितनी घनाएँ इसमें पीछे से जोड़ दी गई हैं। हो सकता है कि इन घटनाओं का वर्णन मूल 'आल्हा खंड' में रहा ही न हो। इतना ही नहीं अनेक भाषाओं में इसके पाठ उपलब्ध होते हैं। भोजपुरी और कन्नौजी पाठ तो प्रकाशित भी हो गए हैं।

'बिहुला' का भोजपुरी रूप कुछ और है और मैथिली तथा बंगला रूप कुछ और। बिहुला भोजपुरी लोकगाथा में ब्राह्मण पुरुष है परन्तु मैथिली तथा बंगला में विषहरी रूप स्त्री तथा देवी है। गोपीचन्द की गाथा के भी कई पाठ मिलते हैं। डा० ग्रियर्सन ने

दो पाठों का संकलन, मगही तथा बंगला में द्ध किया है। ढोला-मारु का भी यही हाल है।

अतः इस प्रकार की परिवर्तनशीलता के कारण मूल पाठ का मिलना तो अत्यन्त कठिन है। लोकगाथा मौखिक परम्परा होने के कारण जनता की सम्पत्ति है। किटरेज ने सत्य ही कहा है- वास्तविक लोकप्रिय लोकगाथा का कोई रूप नहीं हो सकता है, कोई पाठ नहीं हो सकता। ;पि विससवू जीज ह मदनपदम चवचनसंत इससंक बंद रीअम देव पिगमक वितउए देव ववपंस नजीमदजपब अमतेपवदे जीमल तम जमगजे इनज जीमतम पे देव जमगजद्ध ;47

3. संगीत तथा नृत्य का साहचर्य एवं सहयोग :-

अंग्रेजी के बैलेड शब्द की उत्पत्ति लैटिन 'बेलारे' से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है नृत्य करना। अतः बैलेड का अर्थ है वह गीत जो नाचकर गाय जाता हो। यह 'कोरस' है जिसे जन-समुदाय समवेत स्वर में संगीत के साथ गाता है। राबर्ट ग्रेव्स ने सही लिखा है कि उत्तेजना-जनक तथा पुनरावृत्तिमूलक संगीत के बिना गाथा अधूरी है। ;जीम इससंक पे पदववउचसमजम पूजीवनज दे मगबपजपदह देक तमचमजपम उनेपबद्ध ;48

संगीत और नृत्य लोकगाथाओं के अनिवार्य जंग हैं। लोकगाथाओं का महत्त्व ही इसी से है। यही इसकी लोकप्रियता का कारण भी है। लोकगाथाओं की संगीत विधि भी नितान्त भिन्न है। इसे लोकसंगीत, श्वसा, उनेपबद्ध कहते हैं। इसी संगीत के माध्यम से ही लोकगाथाएँ भावपूर्ण एवं सुमधुर बनती हैं। लोकगायक संगीत के माध्यम से ही गाथाओं को मस्ती से भुफम-भुफम कर गाते हैं। अधिकांश लोकगाथाएँ 'दु तगतिलय' में गाई जाती हैं। यूरोप में भी चारण, मिन्स्ट्रल्स डोल या सितार बजा-बजाकर इन्हें गाते हैं। विशपपर्सी का कथन है किन इन मिन्स्ट्रल्स का अनेक सदियों तक अलग सम्प्रदाय था जो सम्मानित तथा धनी व्यक्तिफयों के यहाँ गीतों को गागाकर अपना पेट भरता था ;49 गूमर के मतानुसार कुछ गीत बड़े प्रेम से देर तक गाए जाते थे। यहाँ तक कि मध्यकाल में मृत्यु के अवसर ऐसे नृत्य प्रचलित थे जो धीमी गति से नाचे जाते थे।

गाथाओं का महत्त्व स्वरों के उतार-चढ़ाव पर अधिक निर्भर करता है। भरथरी तथा गोपीचन्द की लोकगाथाओं को-जिनमें करुणापूर्ण संगीत करता है- गायक स्वरों के माध्यम से ही करुणापूर्ण बना देता है। पंतिफ-पंतिफ के साथ गायक का स्वर परिवर्तित होता रहता है, तभी श्रोताओं को आनन्द भी आता है। वर्षातु में जब आल्हा गाया जाता है तब गायक



गले में लटके ढोल को भावावेश में पीट-पीट कर गाता है और जैसे-जैसे गाने की गाति तीव्र होती जाती है – ढोल बजाने में भी उसी के अनुरूप तीव्रता आती जाती है। इस प्रकार गायक संगीत के माध्यम से गाथाओं में जीवन पफूंक देता है। अतः किटेरज का यह कथन सत्य है कि गायक एक वाणी है, व्यक्तिफ नहीं।

गोरखपंथी जोगी सारंगी पर भरथरी और गोपीचन्द्र की लोक-गाथाएँ गाते हैं। सारंगी जोगियों की वेशभूषा का भी अनिवार्य अंग है। ब्रज तथा भोजपुरी प्रदेश में होली ढाल और भफाल बजा-बजाकर मस्ती में गाई जाती है। अतः वाद्य यन्त्रों का भी लोकगाथाओं में अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। जहाँ वाद्य-यंत्रा उपलब्ध नहीं होता वहाँ स्त्रियाँ काठ के कठौते को उल्टा करके लाठी के हूरे से उसकी पीठ को रगड़ती हैं। उससे एक विचित्रा प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। कहीं-कहीं वे ताली बजाकर-विशेषकर भूफमर के गीतों में –संगीत के अभाव की पूर्ति करती हैं। ;50

प्राचीन भारतीय लोकगाथाओं में नृत्य का समावेश था। धीरे-धीरे आगे यह क्रिया गौण होती गई। आज नृत्य का रूप प्रायः समाप्त-सा हो गया है। परन्तु लोकगीतों एवं लोकनाट्यों में नृत्य-क्रिया आज भी विद्यमान है। विशेष रूप से लोकनाट्यों-स्वॉग, यात्रा, नाटक और लीलाओं में नृत्य की परम्परा अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित है। आधुनिक समय में इन्हीं नृत्यों को लोकनृत्य कहते हैं, जिसकी परिछाया आधुनिक नाट्य-गृहों तथा चला-चित्रों में देखने को मिलती है। ;51

4. स्थानीयता की गंध :-

लोकगाथाओं में स्थानीयता की गंध विशेष रूप से पाई जाती है। लोकगाथाएँ अपने समय और स्थान की गंध लिए रहती हैं। लोकगाथाएँ किसी भी प्रान्त की क्यों न हो वे अपने सपफर के बाद किसी एक विशेष प्रांत में पहुँच कर वहीं की विशेषताएं धरण कर लेती हैं। लोकगाथाओं में घटनाएँ चाहे कहीं की हो, कहानी चाहे किसी राजा या उमराव की क्यों न हो, उसमें स्थानीयता का गहरा रंग आ ही जाता है। यही कारण है कि किसी विशेष प्रांत की गाथाओं में वहाँ के जन-जीवन का रहन-सहन, आचार-विचार, खान-पान आदि का स्वभाविक एवं सजीव चित्रण मिलता है। प्रो० किटेरज के अनुसार लोकगाथाएँ किसी घटना के कारण ही निर्मित होती हैं और इसके निर्माण के साथ ही साथ उस विशेष प्रांत के वातावरण और स्थानीयता का भी उसमें समावेश हो जाता है। ;52

लोक-गाथाओं की यह स्थानीयता कहीं-कहीं ऐतिहासिकता के चित्रण में भी सहायक होती है। लोक-गाथाओं में स्थानीय ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन पाया जाता है। भोजपुरी के भफमर में 'हरदिया का राजा,' बिहार की गाथाओं में 'बाबू कुँवरसिंह का उल्लेख पाया जाता है। 'लोरिकी' में बिहार के कई नगर एवं गाँवों का वर्णन है। ये गाथाएँ अपने-अपने प्रान्तों से सम्बन्धित होने के कारण वहाँ की स्थानीय विशेषताओं को लिए हैं।

सामाजिक शास्त्रा के अध्ययन की दृष्टि में लोकगाथाएँ बहुत महत्त्वपूर्ण होती हैं। इनमें प्रचलित धार्मिक, कुत्यों प्रथाओं या संस्थाओं का भी समावेश हो जाया करता है। सीधे नाथपंथ से सम्ब(गोपीचंद्र और भरथरी की लोकगाथाओं को हम छोड़ दे तो हमें 'सोरठी' की लोकगाथा के अन्तर्गत नामधर्म का उल्लेख मिलता है। ;53

5. मौखिक परम्परा :-

लोकगाथाएँ मौखिक परम्परा के रूप में आदिकाल से एक नदी की भाँति बहती चली आ रही हैं। हमारा प्राचीन भारतीय साहित्य प्रारंभ में मौखिक ही था। वेदों की परम्परा भी मौखिक ही थी। वेद की शिक्षा शिष्यों को मौखिक रूप में ही दी जाती थी। लोकसाहित्य उसी प्रकार मौखिक परम्परा का ही साहित्य रहा है। समाज के 'मुख' में इसका आवास है। यही कारण है कि इसका लिपिब(रूप नहीं मिलता। अतः मौखिक परम्परा उसकी एक विशेषता बन गई है। लोकगाथा का रूप अक्षुराण तथा सुरक्षित तभी तक बना रहता है जब तक कि यह परम्परा मौखिक बनी रहती है। लिपिब(होते ही उसकी गति और विकास में बाध पड़ जाती है। सिजविक के कथानुसार यदि किसी गाथा को अपने लिपिब(बर दिया तो यह निश्चित है कि आपने उसकी हत्या करने में योग प्रदान कर दिया। जब तक यह परम्परा मौखिक है तभी तक जीवन्त है। अन्यथा नहीं ;54

यह नितान्त सत्य है कि लिपिब(करने पर लोकगाथाएँ समाज की सम्पत्ति न होकर किसी विशेष वर्ग की सम्पत्ति बनकर रह जाती । वे एक शब्द बन जाती जिसमें समाज की आत्मा की प्रतिध्वनि नहीं, वे एक तथ्य बन जाती जिसमें सामाजिक विकास का प्रतिबिम्ब नहीं ;55 गूमर ने भी लिखा है कि मौखिक परम्परा किसी गाथा की प्रधान उपलब्ध कसौटी है। ;56 इस कसौटी के समाप्त होते ही गाथाओं को वुर्(में रूकावट आ जाना स्वाभाविक है। उसके पाठ मिश्रित हो जाते हैं। और किसी प्रकार के विकास, परिवर्तन और परिवर्(न की क्षमता उसमें नहीं रहती । यही कारण है कि आज भी लोक-गाथाओं की लिखित प्रति देखने को नहीं मिलती। कुछ लोक-गाथाएँ इधर प्रकाशित हुई हैं परन्तु वे उतनी अधिक लोकप्रिय नहीं हुई जितनी मौखिक। लिखित गाथाएँ लोक की सम्पत्ति न होकर साहित्य की सम्पत्ति हो जाती है। किटेरज का यह मत सत्य है कि लिपिब(लोक-गाथाएँ लोक की सम्पत्ति न होकर की सम्पत्ति हो जाती है। ;57

भाषा के अध्ययन की दृष्टि से भी जो विविधता मौखिक परम्परा के कारण लोक-गाथाओं में मिलती है वह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। लोक-गाथाओं में देश के विभिन्न भू-भागों पर अक्षुराण एकात्मकता और एकजातीयता की एक ऐसी भावना



पफैली, जिसमें देश को एक सूख में बाँध देने की क्षमता है। इसी कारण भोजपुरी बोलने वालों में आल्हा-ऊदल के प्रति उतनी ही आतमीयता है जितनी बुन्देलों में ;58६

6. अलंकृत शैली का प्रभाव :-

हडसन ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है:-

;1६ अलंकृत काव्य ;च्यमजतल वितजद

;2६ संवर्तित काव्य ;च्यमजतल विलतवूजीद

अलंकृत काव्य वह कविता है जो किसी एक कवि द्वारा रची जाती है। इसमें रस, अलंकार, गुण आदि की योजना की जाती है। संवर्तित काव्य वह काव्य है जिसकी वृत्ति युग-युग द्वारा रचित 'महाभारत' द्वितीय का उदाहरण है। अलंकृत काव्य का कवि अपनी कविता को सुन्दरतम बनाने के लिए विभिन्न अलंकार, रस, रीति, छन्द आदि की अवतारणा करता है। यह रचना प्रयासपूर्वक की जाती है। परन्तु लोकगाथाओं में इस प्रकार की 'टेकनीक' को नहीं अपनाया जाता, उसमें इस 'टेकनीक' का अभाव रहता है। लोकगाथाओं में साहित्यशास्त्रा के नियमों का भी पालन नहीं किया जाता। उसमें इस प्रकार की अलंकृत शैली का अभाव रहता है। लोकगाथा का सौन्दर्य सहज और स्वाभिक होता है जबकि अलंकृत काव्य का सौंदर्य कृत्रिम होता है। बाल-सौंदर्य और युक्सौंदर्य में जो अन्तर है वही लोकगाथा और अलंकृत काव्य में है। लोकगाथाओं की वर्णन -पति भी ऐसी सरल और सहज होती है जैसी माँ और शिशु का वर्तालाप। ;59६

पं० रामनरेश त्रिपाठी ने इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है- "ग्राम गीत और महाकवियों की कविता में अन्तर है। ग्रामगीत हृदय का धन है और महाकाव्य मस्तिष्क का " ;60६ ग्रामगीत में रस है, महाकव्य में अलंकार। रस स्वाभाविक है और अलंकार मनुष्य निर्मित.....ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार है। इनमें अलंकार नहीं केवल रस है, छन्द नहीं केवल लय है, ललित्य नहीं केवल माधुर्य है। " ;61६

लोकगाथा किसी एक कवि की रचना न होकर की सम्पत्ति होती है। समाज की आदिम अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति इनमें हुई है। यह किसी भी शास्त्रा के बंधन से मुक्त है। कला की दृष्टि से यह नितान्त अविकसित होती है। राबर्ट ग्रेक्स के कथानुसार "लोकगाथाएँ कला की दृष्टि से अधिक विकसित नहीं होतीं। लोकगाथाओं की भावधरा काव्यात्मक बनाने के पहले ही काव्यात्मक रहती है, कल्पना द्वारा कलात्मक बनाने के पहले ही वह कलात्मक रहती है, गाने से पहले ही उसमें संगीतात्मकता रहती है। ;62६ ग्रेक्स का यह कथन नितान्त सत्य है। आविकसित कला से ग्रेक्स का तात्पर्य ऐसी कला से है जिसमें छन्द-विधन, अलंकार-विधन आदि का अभाव हो। अतः लोकगाथाओं में अलंकृत शैली का अभाव होना उसकी प्रधान विशेषता है।

7. उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव :-

जिस प्रकार लोकगाथा में अलंकृत शैली का अभाव रहता है उसी प्रकार उसमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति का भी अभाव पाया जाता है। लोकगाथाओं में लोकीजवन का सांगोपांग वर्णन गुण-दोष एवं आकांक्षाओं के साथ होता है। उसमें संस्कृत के 'नीतिशतक' तथा हिन्दी के नीति के दोहों की भाँति नीतिवचन नहीं मिलते। उसमें उपदेश-कथन की प्रदान करने वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। लोकगाथाएँ कथा का आधार लेकर लोक का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे सदाचार या नीति की शिक्षा न देकर गुण और दोषों का व्यौरेवार वर्णन करती हैं। लोकगाथा अपनी कहानी खुद सुनाती है। उसमें रचनाकार की वैयक्तिफ भावना बिल्कुल नहीं रहती। रचनाकार अपने दृष्टिकोण का न तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है और न उसके विपरीत ही कुछ कहता है। वह लोकगाथा में वर्णित चरित्रों का भी पक्ष नहीं लेता। ;63६

राबर्ट-ग्रेक्स का कथन है कि यदि लोकगाथा का गायक लोकगाथा को नैतिक या उपदेशात्मक बनाता है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि वह समुदाय, षतवनचद्व से विच्छेद करके संस्कृत रचनाओं का पक्ष लेता है। इस पक्षपात के कारण उसमें और समुदाय में एक प्रकार की पृथकत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। ;64६

ग्रेक्स का उपर्युक्त मत पाश्चात्य लोकगाथाओं पर तो लागू होता है। परन्तु भारतीय लोकगाथाओं पर नहीं। भारतीय लोकगाथाओं में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति कहीं-कहीं पाई जाती है यद्यपि गायक और समाज में एक प्रकार की अविच्छिन्नता है। प्रायः भारतीय लोकगाथाओं में शौर्य, प्रेम, देशभक्ति, आज्ञापालन आदि के अनेक प्रसंग पाए जाते हैं। इन आदर्श चरित्रों के त्याग, तपस्या, सतीत्व आदि से शिक्षा तो मिलती ही है। इन आदर्श चरित्रों से हृदय आकर्षित व श्रवणन भी होता है, परन्तु यह सब होते हुए भी उपदेश देने की प्रवृत्ति के लक्षण प्रायः नहीं मिलते। गाथाओं के अन्त में लोक मंगल की भावना अवश्य निहित रहती है।

8. रचनाकार के व्यक्तिफत्वं का प्रभाव :-

सिजविक का कथन है कि किसी भी भाषा की लोकगाथा का सर्वप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ गुण उसका व्यक्तित्व नहीं है बल्कि उसकी व्यक्तिफत्व-हीनता है। इसके विषय में मतभेद संभव है। परन्तु हमको तुरंत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए कि रचनाकार कोई व्यक्तिफ था ही नहीं। यह संभव है कि कलात्मक रचनाएँ मौखिक परम्परा के कारण व्यक्तिफहीनता को प्राप्त करले। ;65६

यह निश्चित है कि लोकगाथाओं का आदि रचनाकार अवश्य होता है परन्तु उसकी रचना में उसका व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। लोकगाथाओं में "मैं" का तो नितान्त अभाव रहता है। ;66६ गूमर ने भी इसी तथ्य पर प्रकाश डालते हुए



लिखा है कि परम्परा, विषय-प्रधानता तथा व्यक्तित्व-हीनता से युक्त इन गाथाओं कथानक भी होता है। मौखिक परम्परा के साथ वर्ण्य-विषय की प्रधानता होते हुए भी व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। ;67६ कितरेज का भी प्रायः यह मत है-“यदि संभव हो जाय कि कोई कथा एक सजग वक्ता के माध्यम के बिना स्वतः अपनी कथा कह सके तो लोकगाथा ऐसी ही कथा होगी।” ;68६ वास्तव में अलंकृत-काव्य में रचनाकार के व्यक्तिफत्व का महत्त्व अनिवार्य रूप से रहता है। वहाँ यह भी कहा जाता कि शैली ही व्यक्तिफत्व है। यही व्यक्तित्व उसे दूसरों की रचनाओं से पृथक करता है। न तो वे वर्तमान में उपस्थित रहते हैं और न भूतकाल में उनकी सत्ता थी हम निश्चित रूप से यह भी नहीं कह सकते कि कभी कोई अस्तित्व रहा हो। ;69६

9. दीर्घ कथानक की विद्यमानता :-

कथानक की दीर्घता लोकगाथाओं की एक और विशेषता है। प्रायः सभी लोकगाथाओं का कथानक विशाल होता है। काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भले ही वह महाकाव्य की तुला न कर सके परन्तु आकार की दृष्टि से लोकगाथाएँ महाकाव्य से स्पर्ध कर सकती हैं। जिस प्रकार महाकाव्य किसी चरित्र के जीवन का सांगोपांग वर्णन करता है। उसी प्रकार लोकगाथाएँ भी कथाचरित्रों के जीवन सांगोपांग वर्णन करती हैं। यही कारण है कि उनका रूप महाकाव्य की भाँति बृहत् हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और कारण भी उनकी दीर्घता का है- वह है सम्पूर्ण समाज का सामूहिक सहयोग। क्योंकि प्रत्येक गायक उसमें अपनी कुछ न कुछ कड़ियाँ जोड़ता ही चला जाता है। ‘महाभारत’ जो आज एक विशाल रूप में प्राप्त होता है वह प्रारम्भ में एक छोटे आकार का ‘जयकाव्य’ मात्रा ही था।

लोकगाथाओं के कथानक की यह दीर्घता ही उन्हें लोकगीतों से अलग कर देती है। लोकगीतों का आधार छोटा होता है क्योंकि उसमें जीवन के किसी एक अंश की भावपूर्ण व्यंजना रहती है जबकि लोकगाथाओं में सम्पूर्ण जीवन की सांगोपांग अभिव्यक्ति। लोकगाथा में कथानक को ही अधिक महत्त्व दिया जाता है- यही उसकी दीर्घता का प्रमुख और महत्त्वपूर्ण कारण है।

अंग्रेजी में दोनों प्रकार की ;छोटी और बड़े आकार की६ लोकगाथाएँ प्राप्त होती हैं। परन्तु भारतीय लोकगाथाओं का आकार अधिकांश रूप में विशाल होता है। भोजपुरी आल्हा 620 बड़े समाज के पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक पृष्ठ में 25 पंक्तिफयाँ हैं। ढोलमारू, विजयमल, सोरठी, भरथरी, गोपीचन्द आदि गाथाओं का आकार भी कम छोटा नहीं। भोजपुरी में कुँवर विजयी सैकड़ों पृष्ठों में प्रकाशित हुई है। डा0 ग्रियर्सन ने विजयमल की अधूरी कथा को 800 पंक्तिफयों में प्रकाशित किया है। इससे सि(होता है कि लोकगाथाओं का कथानक अत्यधिक विशाल होता है।

10. टेक पदों की पुनरावृत्ति :-

टेक पदों की पुनरावृत्ति लोकगाथाओं की सर्वप्रधान विशेषता है। टेक पदों से लोकगाथाओं का महत्त्व बढ़ जाता है। क्योंकि एक ही गीत को जितनी बार दुहराया जाता है उसका आनन्द ही बढ़ जाता है। यही टेकपद की आवृत्ति गीत को अधिक संगीतात्मक बना देती है और श्रोताओं को इससे अधिक आनन्द आता है।

टेकपदों से तीन लाभ होते हैं:- पहला यह कि, समस्वर के कारण एकरसता का निर्माण नहीं हो पाता दूसरा यह कि टेकपदों के कारण गायक को साँस लेने का अवसर मिल जाता है। टेकपदों की आवृत्ति से एक बात और भी मालूम हो जाती है कि ये गीत पहले सामूहिक रूप से ही गाए जाते थे। गायक जब एक कड़ी गाता है तब समस्त के लोग एक साथ मिलकर उन टेकपदों की आवृत्ति करते हैं। आजकल जो हम समवेत स्वर में गाने की प्रवृत्ति देखते हैं वह शायद इसी स्वभाव की सूचना देती है। ;70६ गूमर तो इन टेकपदों को लोकगाथाओं का महत्त्वपूर्ण तत्व मानता है। वास्तव में यह अत्यन्त ही प्राचीन है। आदिम संस्कारों के अवसर पर जनता द्वारा गाए जाने वाले गीतों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। कितरेज ने भी इसे लोकगाथा की प्रधान विशेषता स्वीकार किया है। ;71६ तीसरा लाभ टेक-पदों से यह है कि इनके द्वारा श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। अतः बार-बार आवृत्ति कर अधिक मात्रा में प्रभाव डालने का प्रयत्न किया जाता है। यही कारण है कि इन गाथाओं को जितना अधिक गाया जाता है उतनी ही उसकी मनोरमता बढ़ती जाती है।

अंग्रेजी लोकगाथाओं में टेकपदों की आवृत्ति तीन प्रकार की मिलती है ;72६

;1६ बर्डन ;०नतकमद६, ;2६ रिप्रेफन ;तमतिपद६ और 3. कोरस ;बिगतने६ हिन्दी लोकगाथाओं के टेकपदों का इस प्रकार का कोई नामकरण नहीं मिलता। कोरस, वर्डन और रिप्रेफन से बिल्कुल भिन्न है। वर्डन गाथाओं में प्रयुक्त उस चरण कहते हैं जो गाथा की प्रत्येक पंक्ति के पश्चात् अन्त में गाया जाता है। यह गाथा के केवल अन्त में ही नहीं गाया जाता। गीत की प्रत्येक पंक्ति के पश्चात् एक ही प्रकार के शब्दों का बार-बार ‘बर्डन’ कहा जाता है।

लोकगाथाओं में कुछ पदों आवृत्ति ‘बर्डन’ की भाँति प्रत्येक पंक्ति के बाद न होकर थोड़े-थोड़े समय के बाद हो उसे ‘रिप्रेफन’ कहते हैं। अर्थात् निश्चित पदावली की निश्चित समय या स्थान के पश्चात् पुनरावृत्ति को ‘रिप्रेफन’ कहते हैं। ;जिम तमतिपद पे जीम तमचमजमजपवद वी बमतजंपद चेंहम ज तमहनसंत पदजमतअंसेए दक पे जीने वमितअपबम पद उंतापदह वी जंद्रण६ इससे प्रत्येक पद को अलग -अलग समझने में सहायता मिलती है।

‘रिप्रेफन’ एक ही पदावली की आवृत्ति होती है जिसे ‘वृ(परक आवृत्ति’ ;पदबतमउमदजंस त्मचमजमजपवद६ कहा जाता है। नृत्य, खेल आदि के समय गाए जाने वाले जनसाधरण के गान से इनका जन्म हुआ है। लोकगाथा की मौखिक परम्परा में इसकी स्थिति आवश्यक मानी गई है।



‘कोरस’ उस पूर्ण पद्य ‘वसमे’जंद्रंद्ध को कहते हैं जो लोक-गाथा के प्रत्येक नए पद्य के बाद गाया जाता है।

ये टेकपद कुछ तो सार्थक होते हैं और कुछ निरर्थक। उदाहरण के लिए ब्रज का यह ‘रजना’ गीत देखिए:-

मेरी जल्दी खबरि सुधि लीजियो रजना।
कोठे ऊपर कोठरी रजना खड़ी सुखावे केस।।
यारू दिखाई दे गयो धरि जोगी को भेष।।
कारी परि गई रजना।
पीरी परि गई रजना।। – मेरी जल्दी खबर
आगरे की गैल में परयो भुजंगी स्याँपु।
लोटै पीट पफनु करै सरक बिलै में जाय।।
मरि गई मरि गई रजना।
पीरी परि गई रजना।।मेरी जल्दी खबर

उपयुक्त गीत में ‘मेरी जल्दी खबर’ टेकपद सार्थक है। इसे ‘रिप्रेफन’ कहा जा सकता है। ‘वर्दन’ का उदाहरण ब्रज के इस ‘लॉगुरिया’ में देखने को मिल जाता है।

अनोखी मालिनी भैना, करै तौ डरपै काए कूँ।
तेरे हाथ को मूँदरा, लॉगुर दियो गढाई । अनोखी मालिनी
तेरे सिर की चूँदरी, भैना लॉगुर दई रँगाई। अनोखी मालिनी.....
र र र र र र

रस की बीध्यों लॉगुरा, आई गयो मेरी सेज। अनोखी मालिनी
यहाँ ‘अनोखी मालिनी’ टेकपद प्रत्येक पंक्ति के साथ आ रहा है अतः इसे ‘बर्दन’ कहा जा सकता है।
भोजपुरी ‘चैता’ में हो रामा, आहो रामा, हे राम’ ऐसे पद हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। ऐसे टेक-पदों को निरर्थक टेकपद कहा जाता है।

इस प्रकार गाथाओं के इन टेकपदों का विशेष महत्त्व दिखाई देता है।

11. इतिहास की संदिग्धता :-

प्रायः सभी विद्वान इस विषय में एक मज हैं कि लोकगाथाओं में या तो ऐतिहासिकता होती ही नहीं या उसका इतिहास संदिग्ध होत है। लोकगाथा का रचयिता कोई इतिहास-विशेषज्ञ नहीं होता। न तो उसे इतिहास का ज्ञान है और न उसे इतिहास निर्माण की चिन्ता। वह तो ऐतिहासिक तथा अनैतिहासिक घटनाओं को लेकर लोकगाथाओं की रचना करता है। परन्तु उसके लिए यह अनिवार्य शर्त नहीं कि यदि वह ऐतिहासिक घटना को लेकर चले तो उसका पूर्णरूपेण निर्वाह भी करे। पिएर एक व्यक्ति तो इसका रचयिता होता नहीं। हर समय में हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपना जोड़ता ही रहता है। अतः सच्चा इतिहास ;जो प्रारम्भ में रहा होगाद्ध भी समय-समय पर परिवर्तित व सर्वाँत होते-होते भफूटा पड़ जाता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस लोकगाथा में वर्णित घटना या पात्रा पूर्ण ऐतिहासिक है। बाबू कुँवर, गोपीचन्द्र, भरथरी, आल्हा आदि का वर्णन इतिहास में मिलता है परन्तु उनसे सम्बन्धित कुछ घटनाओं पर ऐतिहासिक दृष्टि से शंका उत्पन्न की जा सकती है। बिहुला, लोरिकी, बिजयमल, सोरठी आदि गाथाओं की ऐतिहासिकता तो नितांत संदिग्ध है। अतः यह कहना भ्रामक होगा कि अमुक लोकगाथा पूर्ण ऐतिहासिक है।

संदर्भ

- एन्साइक्लोपीडिया अमेरिकाना – बैलेड – पृ0 94
- ओल्ड इंग्लिश बैलेड्स – भूमिका – पृ0 36
- इंग्लिश एण्ड स्काटिश पोपुलर बैलेड- एपफ0 जे0 चाइल्ड- इन्ट्रोडक्शन – पृ0 12
- हिन्दी साहित्याकोश ;भाग1द्ध –पृ0 749
- ओल्ड इंग्लिश बैलड्स-इन्ट्रोडक्शन- गूमर- पृ0 49-50
- वही – पृ0 50
- ओल्ड इंग्लिश बैलड्स-इन्ट्रोडक्शन गूमर-पृ0 51
- इंग्लिश एण्ड स्काटिश पापुलर बैलेड-इन्ट्रोडक्शन – जी0 एल0 कीटरेज – पृ0 18
- ओल्ड इंग्लिश बैलड्स-इन्ट्रोडक्शन – गूमर-पृ0 36
- वही- पृ0 36 – 37



- वही – पृ0 36
- रेलिक्स आव एन्शियन्ट इंग्लिश पोयट्री–विशपपसी – पृ0 24
- वही – पृ0 24
- इंग्लिश एण्ड स्काटिक्श पापुलर बैलेड्स–इन्ट्रोडक्शन–एफ0 जे0 चाइल्ड –पृ0 23
- ओल्ड इंग्लिश बैलेड्स – गूमर– इन्ट्रोडक्शन – पृ0 53